न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

नागान्तरण अपील वाद संख्या–02/2017–18

–: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
16/3/18	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, चास के दाखिल खारिज वाद संख्या–2971(III)/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2014 के विरूद्ध 1. श्री दीप नारायण सिंह, पिता– स्व0 रामदयाल सिंह, (प्रतिनिधि राजीव कुमार सिंह) 2. श्रीमती ज्ञानी पाण्डेय, पति– श्याम मुरारी पाण्डेय, सा0– कुँवरसिंह कॉलोनी, चास, पो0+थाना– चास, जिला– बोकारो द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपील वाद दायर किया गया, साथ ही समय को छांत करने हेतु U/S 5 Limitation Act के तहत् आवेदन भी दाखिल किया गया। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा अपील वाद को नामांकित करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई की गई।	

विवादित – भूमि				
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चास	30	405	6912	0.03ए0

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना, प्रथम पक्ष (अपीलार्थी) का कथन है कि मौजा– चास, थाना नं0– 30 के अन्तर्गत खाता नं0– 405, प्लॉट नं0– 6912 का कुल रकवा– 8.90 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शशि भूषण दत्त एवं अन्य के नाम से दर्ज है। खतियानधारी के वंशज 1. राम प्रसाद दत्त 2. ननी गोपाल दत्त पिता– स्व0 गंगा दत्त 3. महादेव दत्त 4. सीताराम दत्त, पिता– स्व0 चाकर दत्त एवं अरूण कुमार नारंग जिन्होंने विभूति भूषण दत्त से पंजीकृत दस्तावेज संख्या– 9866 दिनांक 06.06.1969 को 30डी0 उपरोक्त प्लॉट में खरीदा था के साथ मिलकर केवाला संख्या– 26041 दिनांक 09.10. 1972 को चौहद्दी एवं नक्शा के साथ सच्चिदानंद सिंह एवं बालेश्वर सिंह को 33डी0 जमीन बिक्री किया जिसका जमाबंदी संख्या– 305/6 एवं 306/6 दर्ज है। सच्चिदानंद सिंह एवं बालेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी श्रीमती सूरज देवी एवं अन्य ने (8.25+8.25) डी0 पंजीकृत दस्तावेज संख्या– 3670 एवं 3671 दिनांक 29.05.2012 को राजीव कुमार सिंह एवं दीप नारायण सिंह (अपीलार्थी) को बिक्री किया। उक्त भूमि का अंचल अधिकारी, चास द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या– 2656(III)/2012–13 एवं 2599(III)/2012–13 के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

प्रथम पक्ष उक्त भूमि में से 08डी0 भूमि पंजीकृत दस्तावेज संख्या– 7713 दिनांक 21.11.2012 से श्रीमती नंदा मिश्रा को बिक्री किया गया है। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या– 4220(III)/2012–13 के द्वारा स्वीकृत है। उक्त भूमि पर पक्का

मकान बना हुआ है। राजीव कुमार सिंह ने भी उक्त खरीदगी भूमि में 4.12डी0 भूमि पंजीकृत दस्तवेज संख्या– 909 दिनांक 14.02.2013 से श्रीमती ज्ञानी पाण्डेय (अपीलार्थी संख्या– 02) को विक्री किया। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या– 1276(III)/2013–14 के द्वारा स्वीकृत है। इनके द्वारा उल्लेंख किया गया है कि जय नारायण सिंह एवं अन्य उक्त खाता एवं प्लॉट में पंजीकृत दस्तावेज संख्या– 3483 दिनांक 14.06.2013 से 10डी0 भूमि खरीद किये है। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या– 1969(III)/2013–14 अंचल कार्यालय, चास में संधारित किया गया। उक्त वाद में अपीलार्थी के आपत्ति आवेदन के पश्चात् दोनों पक्षों के अधिवक्ता एवं अंचल अमीन के रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास द्वारा विपक्षी का उक्त भूमि दखल नहीं होने एवं अपीलार्थी संख्या– 01 एवं 02 का मकान तथा दखल कब्जा होने की पुष्टि के आधार पर नामांतरण वाद संख्या– 1969(III)/2013–14 को दिनांक 11.06.2014 को अस्वीकृत कर दिया गया। इनके द्वारा बताया गया है कि विपक्षी के विक्रेताओं के पूर्वज द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से से अधिक की भूमि विक्री कर चुके है। भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा, मकान एवं बांउड्री है। इनके द्वारा अंचल अधिकारी, चास के द्वारा मोटेशन वाद में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील को Allowed करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष (प्रतिपक्षी) संख्या– 03 का कथन है कि वर्तमान अपील काल बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी के विक्रेता ने खाता सं0– 405, प्लॉट सं0– 6907, 6908, 6909 एवं 6912 के सभी प्लॉटों को पूर्व में खरीदा है। अपीलार्थी के विक्रेता सच्चितानंद सिंह एवं बालेश्वर सिंह ने डीड सं0– 26041 दिनांक 09.10.1972 से 33डी0 भूमि खरीद की है। इनके द्वारा उल्लेंख किया गया है कि जयनारायण सिंह, राजू कुमार सिंह एवं मनोज सिंह डीड सं0– 3483 दिनांक 14.06.2013 को 10डी0, जयनारायण सिंह डीड सं0– 6741 दिनांक 25.11.2013 से 03डी0 एवं डीड सं0– 3521 दिनांक 01.07.2014 से 10डी0 भूमि खरीद कर दखल कब्जा में है। अपीलार्थी के विरूद्ध स्वत्व निर्धारण हेतु सबजज न्यायालय, बोकारो में सिविल सुट लम्बित है अन्त में इनके द्वारा अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

सूनवाई के दौरान प्रतिपक्षी संख्या– 03 के द्वारा इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि Limitation Act के तहत् अपीलार्थी द्वारा आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा U/S 5 Limitation Act के तहत् समय को छांत करने हेतु

संख्या–560

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

आवेदन दाखिल किया गया है। तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सूनने के पश्चात् इस वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूनने एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये जवाब तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा केवाला संख्या– 3483 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित भूमि मौजा– चास, थाना नं0– 30, खाता नं0– 405, प्लॉट नं0– 6912, रकवा– 0.10ए0 भूमि का दाखिल खारिज हेतु अचंल अधिकारी, चास के न्यायालय में वाद दायर किया गया था, तत्पश्चात् अचंल अधिकारी, चास द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या– 1969(III)/2013–14 को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। तत्पश्चात् प्रतिपक्षी द्वारा योजना वद्ध तरीके से केवाला संख्या– 6741 दिनांक 25.11.2013 में वर्णित भूमि मौजा– चास, थाना नं0– 30, खाता नं0– 405, प्लॉट नं0– 6912, रकवा– 0.03ए0 भूमि का दाखिल खारिज हेतु दिनांक 13.11.2014 को अंचल कार्यालय, चास में आवेदन दिया गया, जिसे अंचल अधिकारी, चास के द्वारा दिनांक 28.11.2014 को दाखिल खारिज की स्वीकृत्ति प्रदान की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व में उसी खाता, प्लॉट एवं विवादित भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी, चास के द्वारा रद्द कर दिया गया। पुनः उसी प्लॉट से संबंधित भूमि का दाखिल खारिज संबंधित पूर्व के आपत्तिकर्त्ता एवं जन मानस को सूने बिना किया जाना न्यायसंगत नहीं था। इससे स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी द्वारा संबंधित कर्मियों को गुमराह कर नामांतरण की कार्रवाई करायी गयी प्रतीत होती है। प्रथम दृष्ट्या अचंल अधिकारी, चास का भी कर्त्तव्य बनता था कि नामांतरण के पूर्व विवादित भूमि के संबंधित आपत्तिकर्त्ता को सूचना निर्गत करने के पश्चात् ही नामांतरण की कार्रवाई पूर्ण करें। परन्तु अभिलेख में उपलब्ध आम इस्तेहार के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अचंल कार्यालय, चास द्वारा मात्र खानापूर्ति हेतु आम इस्तेहार निर्गत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, चास के न्यायालय के दाखिल खारिज वाद संख्या– 2971(III)/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2014 को रद्द करते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन को Allowed किया जाता है।

आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, चास को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

16/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास।

16/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 14:33:34 +05:30
Location: 192.168.1.42